मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या ४१ए/२०२१ (एम.ए.सी.पी. सं. ३५५/२०१२)
श्रीमती क्रान्ति आदि बनाम राम नरेश यादव आदि

१२.०३.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती क्रान्ति, नीरज, रिंकी, श्रीमती मनकू उर्फ मानकुंवर एवं दिलीप द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के विरूद्ध माननीय उच्च नयायालय में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं.३३१/२०१५ आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इं.कं.लि. बनाम श्रीमती क्रान्ति कुशवाहा एवं अन्य दायर की गयी थी जो दिनाँक १२.१२. २०२० को वापस ले ली है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से याचीगण पूरा डिक्रीटल एमाउण्ट पाने के अधिकारी हैं। मानीय उच्च न्यायालय के आदेश से ५० प्रतिशत धनराशि याचीगण को प्राप्त हो चुकी है, शेष ५० प्रतिशत धनराशि **₹८,७६,८३२** माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एफ.डी.आर. के रूप में पंजाब नेशनल बैंक, शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा किया गया है, जिसकी धनराशि याचीगण मय ब्याज पाने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थीगण/याचीगण ने उक्त एफ.डी.आर. की धनराशि मय ब्याज उन्हें दिलाए जाने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थी दिलीप का शपथपत्र ४सी२, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ.में पारित आदेश दिनाँकित ०४.०२.२०१५ व १२.१२.२०२० की नेट से प्राप्त प्रतियाँ, जिला जज, झाँसी द्वारा बैंक को प्रेषित पत्र की प्रति, अपने–अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. ३५५/२०१२ श्रीमती क्रान्ति आदि बनाम राम नरेश आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया। प्रार्थी दिलीप ने शपथपत्र ४सी२ में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी नीरज अवयस्क है तथा उसकी पत्नी मनकू उर्फ मानकुंवर का सही नाम मानकुंवर है, उसी नाम से आधार कार्ड है। कार्यालय आख्या के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँकित ०४.०२.२०१५ के अनुपालन में ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि ₹८,७६,८३२ की एफ.डी.आर.बनाई गई थी जो दिनाँक १३.०४.२०१९ को परिपक्व हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त अपील एफ.ए.एफ.ओ. सं. ३३१/२०१५ दिनाँक १२.१२.२०२० को खारिज हो चुकी है। एम.ए.सी.पी. सं. ३५५/२०१२ की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय एम.ए.सी.टी./जिला जज, झाँसी द्वारा दिनाँक २०.१०.२०१४ को **₹१५,१८,४००** मय ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश दिनाँकित ०४.०२.२०१५ व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमा की गई है, जिसमें से ५० प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि याचीगण पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं तथा शेष ५० प्रतिशत धनराशि **₹८,७६,८३२** की एफ.डी.आर. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी द्वारा न्यायाधिकरण के नाम जारी की गयी है जो पत्रावली पर मूल रूप से उपलब्ध है तथा वह दिनाँक १३.०४.२०१९ को परिपक्व हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/याची नीरज वर्तमान में अवयस्क है किन्तु प्रार्थिया/याचिया कु. रिंकी वर्तमान में वयस्क हो चुकी है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा बल न दिये जाने के आधार पर आदेश दिनाँक १२.१२.२०२० को निरस्त की जा चुकी है। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण/ याचीगण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त एफ.ए.एफ.ओ. व एम.ए.सी.टी./जिला जज, झाँसी द्वारा पारित एवार्ड दिनाँक २०.१०.२०१४ के अनुपालन में उक्त एफ.डी.आर. की जमाशुदा धनराशि मय ब्याज जरिये आर.टी.जी. एस./नेफ्ट अपने–अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थी/याची नीरज वर्तमान में अवयस्क है अतः उक्त जमा एफ.डी.आर. की धनराशि में से उसके भाग की प्रतिकर धनराशि मय ब्याज उसके नाम उसके वयस्क होने तक के लिए जरिए संरक्षिका माँ प्रार्थिया/याचिया सं.१ श्रीमती क्रान्ति किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना न्यायोचित है, जिसकी धनराशि वह वयस्क होने पर जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ३५५/२०१२ (प्रकीर्ण वाद सं.४१ए/२०२१ श्रीमती क्रान्ति आदि बनाम राम नरेश आदि) के प्रकरण में सावधि जमा खाता सं.३६७१००पीयू०००१९६३५ **₹८,७६,८३२** को समाप्त कर उसकी धनराशि मय ब्याज प्रार्थीगण/ याचीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:–

Applicant/ Petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.19 19:17:19 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribinal
Jhansi

1.Smt. Kranti	388416	44.30	Elect.Mode RTGS/NEFT	3671000101137233	PNB Jokhanbaag Jhansi	PUNB0367100
2. Rinki	172104	19.63	Elect.Mode RTGS/NEFT	1270000100330108	PNB Bangra, Jhansi	PUNB0127000
3. Neeraj (Minor)	172104	19.63	FD up to her majority through natural guardian mother Smt. Kranti	----	Any Nationlized Bank	----
4. Dilip	72104	8.22	Elect.Mode RTGS/NEFT	3671000101137242	PNB Jokhanbaag Jhansi	PUNB0367100
5. Smt. Mankoo alias Maan Kunwar Joint holder	72104	8.22	Elect.Mode RTGS/NEFT	3671000101137242	PNB Jokhanbaag Jhansi	PUNB0367100
Total	876832	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।